कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक प्रतिष्ठान, हमीरपुर में जीर्ण शीर्ण फर्चीचर व अन्य अनुपयोगी वस्तुओ की नीलामी दिनांक 11.08.2022 को सायं 04:30 पर नियत की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के प्राप्त सी,एल, नम्बर 4750/एडमिन(बी–1) सेक्शन दिनांक 06.01.1995 मे दिये निर्देशानुसार एंव कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हमीरपुर द्वारा आंकलन से न्यूनतम बोली रूपये 58416.00 (अठावन हजार चार औ सोलह) रूपये से प्रारम्भ होगी एंव इस धनराशि से कम की बोली स्वीकार नही की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तो सहित आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक नजारत अनुभाग में प्रस्तुत कर सकते है।

1. उक्त नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओ को जमानत धनराशि के रूप में मु0 6,000/– (छैः हजार) रूपये दिनांक 11.08.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा करने होगें।

2. जिस व्यक्ति की नीलामी धनराशि अधिक होगी वह स्वीकार की जायेंगी तथा उसे सम्पूर्ण धनराशि उक्त जीर्ण शीर्ण फर्चीचर व अन्य अनुपयोगी वस्तुओ को उठाने से पूर्व जमा करनी होगी।

नीलामी एंव कार्य करने की अन्य शर्तो की विस्तृत जानकारी नजारत अनुभाग से कार्यालय समय में की जा सकती है।

Chand B... 02.08.2022

अध्यक्ष
नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

नीलामी की शर्ते

1— नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

2— प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व 6000—00 रू0 नगद जमानत धनराशि जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।

3— नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा जो उक्त जमानत धनराशि जमा करेगा।

4— बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त जीर्ण—शीर्ण न्यायालय का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

5— जिसकी अंतिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे अंतिम बोली की 75 प्रतिशत धन. राशि तुरंत जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तु. रंत जमा नही की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6— सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले को उक्त जीर्ण शीर्ण फर्चीचर व अन्य अनुपयोगी वस्तुओ को लेने से पूर्व शेष धनराशि जमा करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व उक्त जीर्ण शीर्ण फर्चीचर व अन्य अनुपयोगी वस्तुओ को पुनः नीलाम किया जायेगा।

7— नीलाम किये गये उक्त पुराने जीर्ण शीर्ण फर्चीचर व अन्य अनुपयोगी वस्तुओ की अधिकतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नही दी जायेगी जब तक की उसने बोली की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान न कर दिया हो।

8— जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को पुराने जीर्ण शीर्ण फर्चीचर व अन्य अनुपयोगी वस्तुओ का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त संख्या 7 के पूर्ण होने के पश्चात तत्काल उक्त जीर्ण शीर्ण फर्चीचर व अन्य अनुपयोगी वस्तुओ को हटाना होगा।

9— यदि नीलामी की शर्तो के विषय में कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

10— नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद हमीरपुर में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जा सकेगी।

02.08.2022

अध्यक्ष
नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, हमीरपुर।